तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजेन्द्र वैष्णव बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 22/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र वैष्णव पुत्र बाबूलाल पता माहेश्वरी भवन के सामने, अस्पताल के पास नाडी रोड़, पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.05.17 में उसके द्वारा (1) पीपाड़शहर की सन् 1952 से सन् 1960 तक के ग्राम पंचायत कार्यकाल एवं तत्कालीन सरपंचों के नामों की सूची, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 233 दिनांक 26.02.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना–पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला परिषद जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थना–पत्र धारा 6(3) के तहत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 715 दिनांक 25.05.2017 द्वारा स्थानान्तरित किया गया तथा प्रार्थी को भी पृष्ठांकित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित करने एवं इसकी सूचना प्रार्थी को देने के बावजूद अपील अति विलम्ब से इस कार्यालय को की गई, इस आधार पर भी निरस्त योग्य है। द्वितींयत् जिला परिषद जोधपुर के लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना नहीं दी गई है, या दी गई सूचना से कोई व्यक्ति व्यथित है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी **प्रमुख**, जिला परिषद जोधपुर के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है अतः अपीलार्थी को सक्षम प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	